रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1984/भाद्र 15, 1906
No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 6, 1984/BHADRA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1984

का. आ. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी

किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में, कर्नाटक राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1985 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. रागी सूखी घास
2. चावल डंठल
3. कड़बी
4. मक्का की भूसी
5. ज्वार की भूसी
6. भूसी और चावल का भूसा
7. चने की भूसी
8. गेहूं चोकर
9. विसंलित चावल चोकर

[संख्या 32-8/80-एल. डी.-2]

पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1984

S O. 686(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make order under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 (of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of varieties specified in

the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Karnataka in that State.

2. This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 28th day of February, 1985.

SCHEDULE

(Varieties of Cattle Fodder)

1. Ragi hay
2. Paddy straw
3. Kadabi
4. Maize hay
5. Jowar hay
6. Hay and rice husk
7. Gram husk
8. Wheat bran
9. Deoiled rice bran

[F. No. 32-8|80-L.D.II]

P. S. KOHLI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984

रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1984/भाद्र 15, 1906
No. 436] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBR 6, 1984/BHADRA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1984

आय-कर

का.आ. 687 (अ).—आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहता है, ऐसे सब व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड विचार करेगा।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये 1 अप्रैल 1985 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 6 च के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"गगग—कारबार या वृत्ति चला रहे व्यक्तियों के लेखाओं की संपरीक्षा की रिपोर्ट।

6 छ : (1) धारा 44 क ख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति के लेखाओं की संपरीक्षा की रिपोर्ट:—

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कारबार चलाता है और जिससे किसी अन्य विधि द्वारा या उसके